भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2241

23 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

नई सहकारिताओं को बढ़ावा

2241. डा. सांतनु सेन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2017 से केवल 48 नई सहकारिताओं की ही शुरुआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नई सहकारिताओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिए हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, उद्योग/वस्त्र, विपणन, चिकित्सा और कल्याण क्षेत्र में बहुत कम सहकारिताओं की शुरुआत की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में नई सहकारिताओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ड.): केवल एक राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों को सम्बंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित किया जाता है तथा एक से अधिक राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों को 'बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 39) का नामक केंद्रीय कानून द्वारा शासित किया जाता है | देश में 1483 बहु-राज्य सहकारी समितियों सहित लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। 2017 से अब तक, 50 बहु-राज्य सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

सहकारी समितियों को डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, औद्योग/वस्त्र, विपणन, चिकित्सा और कल्याण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में पंजीकृत किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, सहकारी संघों, आदि सहित हितधारकों के परामर्श से नई योजनाएं और नई सहकारिता नीति निर्धारित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। नई नीति में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और देश में जमीनी स्तर तक पहुंचने एवं सहकारी समितियों को एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

****